पत्रांक 15/पी 5–02/2015
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक /2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में निमार्णाधीन नये बी0एड0 भवन में उपस्कर आपूर्त्ति हेतु कुल रू0 39,93,000/– (उनचालीस लाख तिरान्बे हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में निमार्णाधीन नये बी0एड0 भवन में उपस्कर आपूर्त्ति हेतु कुल रू0 39,93,000/– (उनचालीस लाख तिरान्बे हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24 दिनांक 14.07.2015 द्वारा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में विभिन्न योजनाओं के निमित कुल रू0 7,69,49,894/– (सात करोड़ उनहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ चौरान्बे) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राशि में से रू0 3,60,49,000/– (तीन करोड़ साठ लाख उनचास हजार) मात्र नये बी0एड0 भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत है। इस बी0एड0 भवन का निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जा रहा है।

3. बिहार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक 3020 दिनांक 11.05.2018 द्वारा निमार्णाधीन बी0एड0 भवन में उपस्कर की आपूर्त्ति हेतु कुल रू0 रू0 39,93,000/– (उनचालीस लाख तिरान्बे हजार) मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में यह राशि स्वीकृत की जा रही है।

4. स्वीकृत राशि अवर सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी करके बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के पी0एल0 खाते में जमा की जाएगी।

5. उपस्करों का क्रय में वित्त विभाग के अद्यतन वित्तीय नियमावली/निदेशों का अनुपालन करते हुए विहित प्रक्रिया अपनाकर की जाएगी।

6. स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

7. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा। इस बजट शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रू0 100,00,00,000/– (एक सौ करोड़) मात्र बजटीय उपबंध है।

8. स्वीकृत्यादेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 एवं संचिका संख्या 15/पी 5–02/2015 में दिनांक 23.05.2018 को पृष्ठ 29/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

10. इस स्वीकृत्यादेश से स्वीकृत राशि वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.07 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में

आवटंन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जाएगी अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

11. भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि का अंकेक्षण करें। इसलिए इस राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

12. निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–02/2015 - 08 पटना, दिनाक 30/5/2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/ कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम /कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /लेखापाल, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव